राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
लिंक रोड न0.3 पत्रकार कॉलोनी के सामने पिन
कोड–462003 भोपाल

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./2021/11535 भोपाल, दिनांकः 22.07.2021

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल अंतर्गत राज्य कार्यालय भोपाल में संविदा चिकित्सा अधिकारियों के चयन हेतु लिये गये ऑन–लाइन **वॉक–इन–इंटरव्यू दिनांक 13.07.2021** में चयन उपरान्त **डॉ. सुमन सिंह नाग पिता श्री शंकर लाल नाग** की पदस्थापना संजीवनी क्लीनिक हेतु संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर. **संजीवनी क्लिनिक रानीतालाब रीवा जिला रीवा** में मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मासिक बेस वेतन 25000/– रूपये के मान से ओ.पी.डी. प्रतिदिन पर, 25 मरीज उपरान्त प्रति मरीज 40 रूपये के मान से अधिकतम् मानदेय राशि 75,000/– प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. संविदा सेवा की शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल के अनुरूप होंगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2022) के लिए होगी।
3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. संविदा चिकित्सकों के आदेश जारी दिनांक से तत्काल पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
6. निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंधपत्र (जिसकी राशि मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी) पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
8. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा चिकित्सक के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
9. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित संविदा चिकित्सक द्वारा वहन किया जायेगा।
10. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच – नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
11. अनुबंध उपरांत संविदा चिकित्सक को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
12. संविदा चिकित्सक को शासन के द्वारा सौपे गए कार्य /कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। कार्यक्रम में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।
13. संविदा चिकित्सक द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
14. संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
15. आकस्मिक अवकाश–संविदा पर नियुक्त चिकित्सक को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।
16. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा चिकित्सक द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. पंकज शुक्ला)
संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./2021/11536 भोपाल, दिनांकः 22.07.2021

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. संचालक, वित्त, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला **रीवा**, म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, संभाग **रीवा**, म.प्र.।
8. उपसंचालक, आई.टी. शाखा की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. उपसंचालक, शहरी स्वास्थ्य/लीगल/मानव संसाधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला **रीवा**, म.प्र.।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला **रीवा**, म.प्र.।
12. **डॉ. सुमन सिंह नाग** संविदा चिकित्सा अधिकारी की ओर पालनार्थ।
13. आदेश नस्ती ।

संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश